रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102023-249265
CG-DL-E-07102023-249265

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 570] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 6, 2023/ आश्विन 14, 1945
No. 570] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 6, 2023/ASVINA 14, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 2023

सा.का.नि. 723(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के निम्लिखित प्रारूप नियम, जिसे केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 109, धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुछ नियमों में और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जब इस अधिसूचना की प्रतियां, भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

2. आक्षेप या सुझाव, जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के भीतर प्राप्त किए जाते हैं, पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

3. इन प्रारूप नियमों के संबंध में आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (एमवीएल), ईमेल:comments-morth@gov.in, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकेंगे।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन नियमों को केंद्रीय मोटर यान (....... संशोधन) नियम, 2023 कहा जा सकता है।

(2) इन नियमों में यथा-निहित के अलावा, ये नियम आधिकारिक राजपत्र में अपने अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. मुख्य नियमों के नियम 15 के उप-नियम (3) में,

खंड (क) में, खंड (च) में, खंड (द) में और खंड (v) के उप-खंड (ii) में;

"रियर-व्यू मिरर" शब्दों के लिए, शब्द "***अप्रत्यक्ष दृष्टि के लिए रियर-व्यू मिरर या उपकरण***" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

3. मुख्य नियमों के नियम 31 में, उप-नियम (1) में, तालिका क में, क्र. सं. 2 में,

"रियर-व्यू मिरर" शब्दों के लिए, शब्द "***रियर-व्यू मिरर या अप्रत्यक्ष दृष्टि के लिए उपकरण***" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

4. मुख्य नियमों के नियम 62 में, उप-नियम (1) की तालिका क के क्र. सं. 6 में,

"रियर व्यू मिरर" शब्दों के लिए, शब्द "***रियर व्यू मिरर या अप्रत्यक्ष दृष्टि के लिए उपकरण***" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

5. मुख्य नियमों के नियम 93 में,

क. उप-नियम (1) में, खंड (ख) में, उप-खंड (i) में,

"रियर-व्यू मिरर" शब्दों के लिए, शब्द "***रियर व्यू मिरर या अप्रत्यक्ष दृष्टि के लिए उपकरण***" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

ख. उपनियम (1) में, खंड (ख) में, उप-खंड (iii) में, स्पष्टीकरण III में,

"रियर-व्यू मिरर" शब्दों के लिए, शब्द " ***अप्रत्यक्ष दृष्टि के लिए उपकरण***" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

ग. उपनियम (2) में, खंड (2) में, उप-खंड (क) में, परंतुक (ख) में,

"रियर-व्यू मिरर" शब्दों के लिए, शब्द " ***अप्रत्यक्ष दृष्टि के लिए उपकरण***" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

घ. उप-नियम (2) में, खंड (3) में

"एक ड्राइविंग मिरर" शब्दों के लिए, शब्द "***अप्रत्यक्ष दृष्टि के लिए उपकरण***" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

ड. उप-नियम (2) में, खंड (4) में

"एक ड्राइविंग मिरर" शब्दों के लिए, शब्द "***अप्रत्यक्ष दृष्टि के लिए उपकरण***" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

6. मुख्य नियमों के नियम 124 में,

क. उप-नियम (4) में, तालिका में, क्र. सं. 8 में,

"रियर-व्यू मिरर" शब्दों के लिए, शब्द "***अप्रत्यक्ष दृष्टि के लिए उपकरण***" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

7 . नियम 125 में, उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम (2) प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(2) केंद्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 1993 के प्रवृत्त होने की तारीख से छह महीने के भीतर, सभी मोटर वाहनों को अप्रत्यक्ष दृष्टि के लिए रियर व्यू मिरर या उपकरणों से लैस किया जाएगा।

बशर्ते कि -

(क) 01 अक्टूबर, 2019 को व इसके पश्चात् विनिर्मित बिना बॉडी वर्क के एल 5 श्रेणी (तिपहिया वाहन) के लिए और एल 1 और एल 2 श्रेणियों (दो पहिया वाहन) के लिए रियर व्यू मिरर विनिर्देशन और स्थापना आवश्यकताएं क्रमशः एआईएस -001 (भाग 2) (संशोधन 1): 2011 और एआईएस-002 (भाग 2) (संशोधन 1): 2011 मानक के अनुसार निर्दिष्ट होंगी, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, जब तक कि संबंधित बीआईएस विनिर्देशों को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के तहत अधिसूचित नहीं किया जाता है;

(ख) 01 अक्टूबर, 2019 को व इसके पश्चात् विनिर्मित बॉडी वर्क सहित एल 5 श्रेणी (तिपहिया वाहन) के लिए और एल 1 और एल 2 श्रेणियों (दो पहिया वाहन) के लिए रियर व्यू मिरर विनिर्देशन और स्थापना आवश्यकताएं क्रमशः एआईएस-001 (भाग 1) (संशोधन 1): 2011 और एआईएस-002 (भाग 2) (संशोधन 1): 2011 मानक के अनुसार निर्दिष्ट होंगी, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, जब तक कि संबंधित बीआईएस विनिर्देशों को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के तहत अधिसूचित नहीं किया जाता है;

(ख-1) संशोधन की तारीख से बारह महीनों के भीतर और उसके बाद निर्मित बॉडी वर्क सहित एल 5 श्रेणी (तिपहिया वाहन) के लिए, ***अप्रत्यक्ष दृष्टि के लिए उपकरण*** विनिर्देश और स्थापना आवश्यकताएं क्रमशः एआईएस -001 (भाग 1) (संशोधन 2): 2023 और एआईएस -002 (भाग 1) (संशोधन 2): 2023 मानक में निर्दिष्ट होंगी, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, जब तक कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के तहत संबंधित बीआईएस विनिर्देशों को अधिसूचित नहीं किया जाता है;

(ग) 01 अक्टूबर, 2019 को व इसके पश्चात् एम और एन 2 श्रेणियों के वाहन के लिए रियर व्यू मिरर विनिर्देशन और स्थापना आवश्यकताएं क्रमशः एआईएस -001 (भाग 1) (संशोधन 1): 2011 और एआईएस-002 (भाग 1) (संशोधन 1): 2011 मानक के अनुसार निर्दिष्ट होंगी, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, जब तक कि संबंधित बीआईएस विनिर्देशों को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के तहत अधिसूचित नहीं किया जाता है;

(ग-1) संशोधन (.............) की तारीख से बारह महीनों के भीतर और उसके बाद विनिर्मित एम और एन श्रेणी के वाहनों के लिए, ***अप्रत्यक्ष दृष्टि के लिए उपकरण*** विनिर्देश और स्थापना आवश्यकताएं क्रमशः एआईएस -001 (भाग 1) (संशोधन 2): 2023 और एआईएस -002 (भाग 1) (संशोधन 2): 2023 मानक में निर्दिष्ट होंगी, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, जब तक कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के तहत संबंधित बीआईएस विनिर्देशों को अधिसूचित नहीं किया जाता है;

बशर्ते कि, 01 अक्टूबर, 2019 को व इसके पश्चात् एल 7 श्रेणी के वाहनों के लिए, रियर व्यू मिरर विनिर्देशन और स्थापना आवश्यकताएं क्रमशः एआईएस -001 (भाग 1) (संशोधन 1): 2011 और एआईएस -002 (भाग 1) (संशोधन 1): 2011 मानक में निर्दिष्ट की जाएंगी, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, जब तक कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के तहत संबंधित बीआईएस विनिर्देशों को अधिसूचित नहीं किया जाता है।

बशर्ते कि, संशोधन की तारीख से बारह महीनों के भीतर और उसके बाद विनिर्मित एल 7 श्रेणी के वाहनों के लिए, ***अप्रत्यक्ष दृष्टि के लिए उपकरण*** विनिर्देश और स्थापना आवश्यकताएं क्रमशः एआईएस -001 (भाग 1) (संशोधन 2): 2023 और एआईएस -002 (भाग 1) (संशोधन 2): 2023 मानक में निर्दिष्ट होंगी, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, जब तक कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के तहत संबंधित बीआईएस विनिर्देशों को अधिसूचित नहीं किया जाता है।

बशर्ते कि 01 अक्टूबर, 2019 को व इसके पश्चात्, कृषि ट्रैक्टरों के लिए, रियर व्यू मिरर विनिर्देश और स्थापना आवश्यकताएं क्रमशः एआईएस -001 (भाग 1) (संशोधन 1) : 2011 और एआईएस: 114-2009 के अनुरूप होंगी, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, जब तक कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के तहत संबंधित बीआईएस विनिर्देशों को अधिसूचित नहीं किया जाता है।

बशर्ते यह भी कि संशोधन (...........) की तारीख से बारह महीनों के भीतर और उसके बाद विनिर्मित कृषि ट्रैक्टरों के लिए अप्रत्यक्ष दृष्टि विनिर्देशों और स्थापना आवश्यकताओं के लिए उपकरण क्रमशः एआईएस -001 (भाग 1) (संशोधन 2): 2023 और एआईएस: 114-2009 मानकों के अनुरूप होंगे, जब तक कि संबंधित बीआईएस विनिर्देशों को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 (2016 का 11) के तहत अधिसूचित नहीं किया जाता है।

बशर्ते यह भी कि 01 अप्रैल 2017 को और उसके पश्चात्, ऑटोमोबाइल निर्माताओं द्वारा अपने कारखानों से देश के विभिन्न बिक्री केंद्रों तक मोटर वाहन ले जाने के लिए लगाए गए ट्रक-ट्रेलर या ट्रैक्टर-ट्रेलर वाहनों को रियर सर्विलांस कैमरा-मॉनिटरिंग डिवाइस या रियर व्यू कैमरा से लैस किया जाएगा। "

8 . नियम 125-क में, प्रविष्टि "रियर व्यू मिरर" के लिए, जहां भी यह होता है, क्रमशः प्रविष्टि "रियर व्यू मिरर" *या अप्रत्यक्ष दृष्टि के लिए उपकरण*" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

9 . नियम 125-ग में,

क. उप-नियम (3) में, तालिका 1 में, क्र. सं. 22 में,

"रियर व्यू मिरर" शब्दों के लिए, शब्द "***रियर व्यू मिरर या अप्रत्यक्ष दृष्टि के लिए उपकरण***" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

क . नियम 128 में,

क. उप-नियम (13) में, खंड (I)

"रियर व्यू मिरर" शब्दों के लिए, शब्द " ***रियर व्यू मिरर या अप्रत्यक्ष दृष्टि के लिए उपकरण***" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

11 . **प्रपत्र** 22-ख में,

क. भाग क में, क्र. सं. 6.22 में,

"रियर व्यू मिरर" शब्दों के लिए, शब्द "***रियर व्यू मिरर या अप्रत्यक्ष दृष्टि के लिए उपकरण***" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

12 . मोटर वाहन (ड्राइविंग) विनियम, 2017

(क) प्रविष्टि "रियर व्यू मिरर" के लिए, जहां भी यह होता है, प्रविष्टि "रियर व्यू मिरर" *या अप्रत्यक्ष दृष्टि के लिए उपकरण*" क्रमशः, प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. आरटी-11036/48/2023-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पणी: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उपधारा (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 2 जून,1989 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि...........(अ), दिनांकित .... द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October, 2023

G.S.R. 723(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

3. Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (MVL, Transport & Toll), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001 or on the email: comments-morth@gov.in;

DRAFT RULES

1. Short title and commencement - (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (……Amendment) Rules, 2023.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In sub rule (3) of rule 15 of the principal rules,

in clause (a), in clause (f), in clause (r) and in sub-clause (ii) of clause (v);

for the words "rear-view mirror", the words " ***rear-view mirror or devices for indirect vision*** " shall be substituted;

3. In rule 31 of the principal rules, in sub-rule (1), in Table A, in Sr. No. 2,

for the words "Rear-view mirror", the words " ***Rear-view mirror or devices for indirect vision*** " shall be substituted;

4. In rule 62 of the principal rules, in Sr. No. 6 of Table A of sub-rule (1),

for the words "Rear View Mirror", the words " ***Rear view mirror or devices for indirect vision*** " shall be substituted;

5. In rule 93 of the principal rules,

a. in sub-rule (1), in clause (B), in sub-clause (i),

for the words "rear-view mirror", the words " ***rear view mirror or devices for indirect vision*** " shall be substituted;

b. in sub-rule (1), in clause (B), in sub-clause (iii), in Explanation III

for the words "rear-view mirror", the words " ***devices for indirect vision*** " shall be substituted;

c. in sub-rule (2), in clause (2), in sub-clause (A), in proviso (b)

for the words "rear-view mirror", the words " ***devices for indirect vision*** " shall be substituted;

d. in sub-rule (2), in clause (3)

for the words " a driving mirror ", the words " ***devices for indirect vision*** " shall be substituted;

e. in sub-rule (2), in clause (4)

for the words " a driving mirror ", the words " ***devices for indirect vision*** " shall be substituted;

6. In rule 124 of the principal rules,

a. in sub-rule (4), in Table, in Sr. No. 8,

for the words "rear-view mirror", the words " ***devices for indirect vision*** " shall be substituted;

7**.** In rule 125, for sub-rule (2) the following sub-rule (2) shall be substituted, namely:-

"(2) Six months from the date of commencement of the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules 1993, all motor vehicles shall be equipped with rear view mirror or devices for indirect vision.

Provided that -

(a) for L5 category (three wheeled vehicles) without body work and L1 and L2 categories (two wheeled vehicles) manufactured on and after the 1st day of October, 2019, the rear view mirror specification and installation requirements shall be as specified in AIS-001 (Part 2) (Rev.1):2011 and AIS-002 (Part 2)(Rev.1):2011 standard respectively, as amended from time to time, till such time the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016);

(b) for L5 category (three wheeled vehicles) with body work manufactured on and after the 1st day of October, 2019, the rear view mirror specification and installation requirements shall be as specified in AIS-001 (Part 1) (Rev. 1): 2011 and AIS-002 (Part 1) (Rev. 1): 2011 standard respectively, as amended from time to time, till such time corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016);

(b-1) for L5 category (three wheeled vehicles) with body work manufactured on and after the twelve months from the date of Amendment (…), the ***devices for indirect vision*** specification and installation requirements shall be as specified in AIS-001 (Part 1) (Rev. 2): 2023 and AIS-002 (Part 1) (Rev. 2): 2023 standard respectively, as amended from time to time, till such time corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016);

(c) for M and N category vehicles manufactured on and after the 1st day of October, 2019, the rear view mirror specification and installation requirements shall be as specified in AIS-001 (Part 1) (Rev. 1): 2011 and AIS-002 (Part 1) (Rev. 1): 2011 standard respectively, as amended from time to time, till such time corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016):

(c-1) for M and N category vehicles manufactured on and after the twelve months from the date of Amendment (…), the ***devices for indirect vision*** specification and installation requirements shall be as specified in AIS-001

(Part 1) (Rev. 2): 2023 and AIS-002 (Part 1) (Rev. 2): 2023 standard respectively, as amended from time to time, till such time corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016):

Provided further that, for L7 category vehicles manufactured on and after the 1st day of October, 2019, the rear view mirror specification and installation requirements shall be as specified in AIS-001 (Part 1) (Rev. 1): 2011 and AIS-002 (Part 1) (Rev. 1): 2011 standard respectively, as amended from time to time, till such time corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016).

Provided further that, for L7 category vehicles manufactured on and after the twelve months from the date of Amendment (…), the ***devices for indirect vision*** specification and installation requirements shall be as specified in AIS-001 (Part 1) (Rev. 2): 2023 and AIS-002 (Part 1) (Rev.2): 2023 standard respectively, as amended from time to time, till such time corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016).

Provided also that on and after the 1st October, 2019, for agricultural tractors, the rear view mirror specifications and installation requirements shall conform to AIS-001(Part 1)(Rev. 1) :2011 and AIS:114-2009 respectively, as amended from time to time, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016).

Provided also that on and after the, for agricultural tractors manufactured on and after the twelve months from the date of Amendment (…),, the devices for indirect vision specifications and installation requirements shall conform to AIS-001(Part 1) (Rev.2): 2023 and AIS:114-2009 standards respectively as amended from time to time, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016).

Provided also that on and from the 1st April 2017, articulated or truck-trailer or tractor-trailer vehicles engaged by automobile manufacturers to carry motor vehicle from their factories to different sale outlets in the country, shall be equipped with a rear surveillance camera-monitoring device or rear view camera.**”**

8**.** In rule 125-A, for the entry “rear view mirror”, wherever it occurs, the entry “rear view mirror *or devices for indirect vision*” shall, respectively, be substituted;

9**.** In rule 125-C,

a. in sub-rule (3), in Table 1, in Sr. no. 22,

for the words "Rear view mirror", the words " ***Rear view mirror or devices for indirect vision*** " shall be substituted;

10**.** In rule 128,

a. in sub-rule (13), in clause (*i*)

for the words "rear view mirror", the words " ***rear view mirror or devices for indirect vision*** " shall be substituted.

11**.** In Form 22-B,

a. in part A, in Sr. 6.22

for the words "rear view mirror", the words " ***rear view mirror or devices for indirect vision*** " shall be substituted.

12**.** In Motor Vehicles (Driving) Regulations, 2017

(a) for the entry “rear view mirror”, wherever it occurs, the entry “rear view mirror *or devices for indirect vision*” shall, respectively, be substituted.

[No. RT-11036/48/2023-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide Notification number …….. Dated………….

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.10.07 17:03:21 +05'30'